संख्या-31/2015/क0नि0-4-845/11-2015-2(14)/97

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊ::दिनांक 25 जून, 2015**

विषय:- वाणिज्य कर कार्यालय आजमगढ़ हेतु श्री उदय राज सिंह, श्री गौरव सिंह एवं श्रीमती चम्पादेवी के भवन का किराया नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्पत्ति/भ0प0-आजमगढ़- 240/2015-16 /49/ वाणिज्य कर, दिनांक- 14 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आजमगढ़ के वाणिज्य कर कार्यालय हेतु श्री उदय राज सिंह, श्री गौरव सिंह एवं श्रीमती चम्पादेवी के भवन में उपलब्ध 5708.85 वर्ग फुट कारपेट एरिया का रू0-11.14 (ग्यारह रूपये चौदह पैसे मात्र) प्रति वर्ग फुट की दर से कुल धनराशि रू0-63,596.60 (तिरसठ हजार पांच सौ छियानबे रूपये साठ पैसे मात्र) मासिक की दर से दिनांक- 31 दिसम्बर, 2012 की तिथि से आगामी 05 वर्षों अथवा भवन रिक्त किये जाने की तिथि तक, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु किराये पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त प्रयोजन हेतु करार विलेख निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के स्थानीय प्राधिकारी एवं भवन स्वामी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत मद संख्या-17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व' के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- भवन का जलकर व जल निकासी कर विभाग द्वारा देय होगा एवं अन्य सभी दायित्व भवन स्वामी के होंगे।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

संख्या-31/2015/क0नि0-4-845(1)/11-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, आजमगढ़/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़ ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
5- श्री उदय राज सिंह, श्री गौरव सिंह एवं श्रीमती चम्पादेवी निवासी- मुहल्ला सिधारी, तहसील सदर, जनपद- आजमगढ़ ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।